संख्या– 950 /11–6–2016–एम(9)/16

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषयः प्रदेश में नये एकल छविगृहों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में नए एकल छविगृहों के निर्माण हेतु वर्तमान में कोई प्रोत्साहन योजना विद्यमान नहीं है। प्रदेश में लगभग 700 से अधिक एकल छविगृह बन्द हो चुके हैं, जिससे मनोरंजन कर विभाग की राजस्व प्राप्तियां पर्याप्त रूप से प्रभावित हुयी हैं। वर्तमान में एकल छविगृहों के निर्माण हेतु कोई प्रोत्साहन योजना न होने के कारण उद्यमियों द्वारा एकल छविगृहों के निर्माण में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। उक्त के दृष्टिगत यदि एकल छविगृहों के निर्माण हेतु शासन द्वारा प्रोत्साहन योजना लायी जाती है, तो इससे न केवल प्रदेश में एकल छविगृहों के रूप में आमोद के साधन उपलब्ध होंगें, वरन् प्रदेश सरकार को मनोरंजन कर के रूप में राजस्व भी प्राप्त होगा, साथ ही प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा अन्य सम्बन्धितों को भी राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

2. अतः सम्यक विचारोपरांत प्रदेश में मल्टीप्लेक्सों के निर्माण को प्रोत्साहन हेतु जारी शासनादेश संख्या–714/11–6–15–एम(72)/10 दिनांक 03.09.2015 के समान योजना एकल छविगृहों के निर्माण हेतु प्रदेश में नये एकल छविगृहों बनाने हेतु उक्त प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(I) यदि किसी व्यक्ति/कम्पनी द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त एकल छविगृह का निर्माण (व्यावसायिक गतिविधियों के साथ अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के बिना) किया जाता है तो उसे पॉच वर्ष हेतु अनुदान की सुविधा, छविगृह में अनुदान स्वीकृति के दिनांक से निम्नवत् अनुमन्य होगी :–

(क) नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले एकल छविगृह हेतु अनुदानः–

प्रथम वर्ष	छविगृह से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान।
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	छविगृह से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान।
चतुर्थ एवं पंचम वर्ष	छविगृह से संग्रहीत मनोरंजन कर का 50 प्रतिशत अनुदान।
छठा वर्ष एवं आगे	पूर्ण कर देयता।

(ख) नगर निगम एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले एकल छविगृह हेतु अनुदान :–

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	छविगृह से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान।
चतुर्थ एवं पंचम वर्ष	छविगृह से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान।
छठा वर्ष एवं आगे	पूर्ण कर देयता।

(II) इस योजना का लाभ इस अवधि में निर्मित होने वाले ऐसे समस्त एकल छविगृहों को अनुमन्य होगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत लाइसेंसिग प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से निर्माण की पूर्वानुमति प्राप्त कर छविगृह का निर्माण पूर्ण कर लिया हो तथा दिनांक 31.03.2020 तक छविगृह में सिनेमा प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो।

(III) अनुदान प्राप्त करने के लिए छविगृह स्वामी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ–साथ छविगृह की लागत का पूरा वास्तविक ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें भूमि की कीमत, अन्य व्यवसायिक प्रयोजन से किए गए निर्माण यथा–छविगृह के निम्न स्तर के तलों का व्यावसायिक उपयोग वाले निर्माण तथा उन निर्माणों तक प्रयोग होने वाले रैम्प, स्केलेटर, लिफ्ट, सीढ़ियों का निर्माण, बेसमेंट, दुकानें तथा छविगृह से इतर अन्य निर्माण को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, किन्तु छविगृह हेतु उपकरण, साज–सज्जा आदि की लागत सम्मिलित की जाएगी। उक्त के संबंध में निर्धारित **प्रारूप–1 (छायाप्रति संलग्न)** पर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देना होगा तथा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस देने के साथ–साथ उपर्युक्त अनुदान की स्वीकृति हेतु निर्धारित **प्रारूप–2 (छायाप्रति संलग्न)** में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी तथा छविगृह स्वामी द्वारा निर्धारित **प्रारूप–3 (छायाप्रति संलग्न)** में स्वयं अपने हस्ताक्षर से शपथ पत्र तथा रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र निष्पादित/प्रस्तुत करने के बाद ही सहायक अनुदान योजना प्रभावी होगी। अनुदान प्राप्त करने के लिये छविगृह स्वामी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत मानचित्र की प्रति भी प्रस्तुत की जायेगी।

(IV) छविगृह स्वामी द्वारा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लेने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को दिए गए प्रार्थना पत्र का तीन माह के अन्दर निर्णय नहीं होता है तो प्रार्थी शासन के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(V) जिला मजिस्ट्रेट को लाइसेंस देने की तिथि पर इस बात से संतुष्ट होना होगा कि छविगृह चलचित्र प्रदर्शन के लिए पूर्णतः तैयार है व हर प्रकार से संयंत्रयुक्त एवं सुसज्जित है, अनुदान स्वीकृति हेतु सभी अभिलेख प्रस्तुत कर दिए गए हैं तथा

उनके तथ्य एवं आंकड़े पूर्णतः सत्य हैं। आवेदक को लाइसेंस तभी स्वीकृत किया जाएगा, जब उसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा छविगृह हेतु जारी "पूर्णता प्रमाण पत्र" प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(VI) अनुदान की अवधि उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित प्रस्तावानुसार पॉच वर्ष अथवा छविगृह की लागत (भवन, जो चलचित्र प्रदर्शन के लिए है, की लागत) प्राप्त होने तक, जो पहले हो, होगी।

(VII) वास्तविक लागत के सम्बन्ध में छविगृह स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर शासकीय मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(VIII) अनुदान योजना का लाभ प्राप्त होने की अवधि समाप्त होने के पश्चात कम से कम आगामी पॉच वर्षों तक छविगृह में सिनेमा का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। इस अवधि में पूर्व में संचालित नियमित प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जाएगी। उक्त शर्त का उल्लंघन करने की दशा में अनुदान के रूप में उन्हें दी गयी सम्पूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भू–राजस्व के बकाए के रूप में वसूल कर ली जाएगी।

(IX) छविगृह स्वामी को प्रत्येक प्रदर्शन में जारी किए गए टिकट से प्राप्त आय का लेखा उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली, 1981 के नियम–13 के अनुसार "प्रपत्र ख" में बनाना होगा एवं अनुदान की अवधि में इसके देय कर की राशि अलग से दिखायी जाएगी। छविगृह स्वामी को उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा–8 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा।

(X) छविगृह स्वामी द्वारा अनुदान के समतुल्य कर की धनराशि को नकद जमा करना आवश्यक न होगा एवं इस सम्बन्ध में यह मान लिया जाएगा कि उसने उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के नियम–24 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार अनुदान के बराबर की धनराशि जमा कर दी है, किन्तु लेखों में आवश्यक समायोजन हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक माह छविगृह स्वामी उपरोक्त बिल के साथ उस माह के लिए अनुमन्य अनुदान की कुल धनराशि का विवरण भी संलग्न करेगा, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। इस प्रकार प्रस्तुत प्रतिहस्ताक्षरित बिल के आधार पर कोषाधिकारी अनुदान की राशि का नकद भुगतान न करके उक्त राशि को अनुदान संख्या–90 के मुख्य लेखा शीर्षक "2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–आयोजनागत–101–संग्रहण प्रभार–मनोरंजन कर–04 छविगृहों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना–20–सहायता अनुदान/ अंशदान/राज्य सहायता" के नामे डालते हुए उसे प्राप्ति शीर्षक–"0045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–101–मनोरंजन कर –01–कर संग्रहण" के अधीन जमा कर देगा। बिल के साथ संलग्न सत्यापित प्रतिहस्ताक्षरित विवरण पत्र वाउचर का कार्य करेगा।

(XI) सिनेमा स्वामी, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 तथा उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के अन्तर्गत विहित अधिकारी द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करेंगे।

(XII) शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि छविगृह के निर्माण में उससे सम्बन्धित नियमावली, अधिनियम, विनियमन, बाईलॉज के किसी प्राविधान अथवा अनुमोदित मानचित्रों एवं विशिष्टियों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुदान गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत किया गया है, अथवा सिनेमा स्वामी द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया है, तो अनुदान का आदेश निरस्त किया जा सकेगा तथा अनुदान सहित प्रथम प्रदर्शन से ऐसे निरस्तीकरण की तिथि तक अनुदान के रूप में दी गयी समस्त धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भू–राजस्व के बकाए की भांति वसूल की जायेगी।

(XIII) छविग्रहों के निर्माण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी (यथास्थिति सम्बन्धित विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र) से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा मानचित्र स्वीकृति के समय आवेदक द्वारा नियमानुसार समस्त शुल्क (मानचित्र शुल्क, निरीक्षण शुल्क, विकास शुल्क आदि) देय होंगे।

(XIV) नगर निगम क्षेत्रों तथा नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में सिनेमा के दर्शकों के लिए अनिवार्य रूप से मानकों के अनुरूप भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। यह पार्किंग व्यवस्था अन्य व्यावसायिक सुविधाओं (यदि प्रस्तावित है, तो) के लिए आवश्यक पार्किंग के अतिरिक्त करनी होगी। अन्य नगरों/क्षेत्रों में भूमिगत पार्किंग की अनिवार्यता न होते हुए भी सिनेमा दर्शकों के लिए आवश्यक पार्किंग की व्यवस्था मानकों के अनुरूप सिनेमा स्वामी को अलग से करनी होगी।

(XV) छविगृह स्वामी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय अनुमोदित मानचित्रों के अनुरूप समस्त निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी सक्षम प्राधिकारी से निर्गत छविगृह पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की जायेगी।

(XVI) प्रदेश में उन्हीं छविगृहों को अनुदान प्रदान किया जाये, जिनकी न्यूनतम आसन क्षमता 125 सीटों से अधिक हों एवं अन्य व्यावसायिक कार्य को प्रारम्भ करने की अनुमति भवन स्वामी को संबंधित विभागों/स्थानीय निकाय/एजेन्सियों द्वारा तभी दी जाएगी, जब वह उसमें निर्मित सिनेमा हाल का संचालन प्रारम्भ कर चुका है।

(XVII) यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से दिनांक 31.03.2020 तक प्रभावी होगी।

संलग्नक :– यथोक्त।

भवदीय,

(बीरेश कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

d:entertainment tax:diwakar

संख्या– 950 (1)/11–6–2016–एम(9)/16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0, लखनऊ ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9
4. सूचना अनुभाग–2
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव।

कार्यालय मनोरंजन कर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 3706 / विधि संशो0 / 2016–17 लखनऊः दिनांक 05 जनवरी, 2017

प्रतिलिपिः–समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. मुख्यालय के समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संख्याधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(ए0एम0त्रिपाठी)
उपायुक्त,
मुख्यालय।

d:entertainment tax:diwakar